न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व प्रथम अपील संख्या 263/2025

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. स्व. चमनाराम पुत्र वजारामजी, जातिगण मेघवाल, निवासी नाडोल तहसील देसुरी जिला पाली के कायम–मुकाम 1/1 हेमी पत्नी स्व. श्री चमनाराम 1/2 रमेश पुत्र स्व. श्री चमनाराम निवासी नाडोल तहसील देसुरी जिला पाली 1/3 मंजू पुत्री स्व. श्री चमनाराम पत्नी गुलाब हाल उदरथल, तहसील देसुरी जिला पाली (राज) 1/4 रेखा पुत्री स्व. श्री चमनाराम पत्नी प्रकाश निवासी नाडोल हाल निवासी मोकमपुरा तहसील रानी जिला पाली।		1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार देसुरी जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.01.2021 को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला पाली के द्वारा राजस्व विविध संख्या 461/2017 अनवान स्व. चमनाराम बनाम सरकार में पारित किया गया

उपस्थितिः–

1. श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित, विद्वान अधिवक्तागण, अपीलाण्ट्स की ओर से।
2. श्री नवलसिंह दहिया, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट्स की ओर से।

:: <u>निर्णय</u> ::

दिनांकः 17–09–2025

1. पत्रावली में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया कि ग्राम नाडोल 2 पटवार हल्का नाडोल

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

2 भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नाडोल तहसील–देसूरी जिला पाली के खाता संख्या नया 1 पुराना–1 के खसरा नम्बर 5194 क्षेत्रफल 0.5500 हैक्टर भूमि वर्गीकरण बारानी अव्वल की कृषि भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है। उपरोक्त कृषि भूमि अपीलाण्ट के ससुरजी वजा पुत्र पीथाराम भांबी सांकिन देह खातेदार के नाम से संवत 2026 से 2029 में दर्ज है। अपीलाण्ट के ससुर वजाराम की मृत्यु के पश्चात प्रार्थीया के पति चमनाराम पुत्र वजाराम कौम भांबी सांकिन देह खातेदार के नाम से पुराने खसरा नम्बर 2148 के नाम से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया गया। सेटलमेन्ट के पश्चात खसरा नम्बर 2145 को नये खसरा नम्बर 5194 में परिवर्तित कर दिया गया। अपीलाण्ट के पति चमनाराम की मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त भूमि पर अपीलाण्ट एवम अपीलाण्ट के वारिसों का नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए था। परन्तु तकनीकी या भूलवश अपीलाण्ट का नाम उपरोक्त कृषि भूमि में दर्ज न कर खसरा नम्बर 5194 में काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत दर्ज कर दिया गया है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट का नाम दर्ज किये जाने के संबंध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला पाली द्वारा अपीलाण्ट के प्रार्थना–पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम पर आदेश दिनांक 19.01.2021 के द्वारा अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 19.01.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 24.12.2021 को पेश की गई है।

3. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार यह कथन किया गया है कि अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.01.2021 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 15.12.2021 को तब हुई, जब हल्का पटवारी नाडोल चक नम्बर 2 ने अपीलाण्ट को यह कहा कि आपका मुकदमा एस.डी.ओ. कोर्ट देसुरी में तारीख 19.01.2021 को खारिज हो गया है, या तो इसकी अपील कर दो वरना कब्जा छोड़ना पड़ेगा और फसल कुर्क की जायेगी। तब अपीलाण्ट तुरन्त प्रभाव से देसुरी गई और अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया और आवेदन संख्या 248 दिनांक 15.12.2021 द्वारा नकल हेतु आवेदन पेश किया व नकल उसी रोज प्राप्त हुई। फिर अपील हेतु अधिवक्ता से सम्पर्क किया, जो कि जानकारी की दिनांक से अपीलाण्ट की अपील अन्दर म्याद पेश है। वकील की लापरवाही की सजा फरीक को नहीं भुगताया जा सकता है। वैसे अपीलाण्ट हेमी अनपढ़ अशिक्षित ग्रामीण परिवेश की मेघवाल जाति की महिला है, अगर इस अपील को अन्दर म्याद शुमार नही किया गया तो अपीलाण्ट अपने ससुर के समय से चली आ रही खातेदारी भूमि से वंचित हो जायेगी, जिससे अपीलाण्ट को अकथनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीया/अपीलाण्ट की ओर से अपील पेश करने में जो देरी हुई है, उसे न्यायहित में माफ किया जाकर अपील को

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

गुणावगुण पर सुना जाकर निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावें। रेस्पोडेन्ट्स की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलान्ट की ओर से पेश प्रार्थना पत्र बाबत मियाद सम्बन्धी अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया तथा अपील को इसी स्तर पर निस्तारित करने का निवेदन किया गया। अपीलान्ट्स के द्वारा प्रस्तुत धारा 05 मियाद अधिनियम बाबत अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने पर विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा की गई बहस को सुनने के उपरान्त उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

5. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.01.2021 को पारित किया गया है, वह विधि एवं कानूनी प्रावधानों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

6. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि ग्राम नाडौल पटवार हल्का नाडोल चक नं 2 के खाता संख्या पुराना 1 खसरा नम्बर 5194 क्षेत्रफल 0.5500 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि स्थित है, जिस पर अपीलाण्ट का कब्जाकाश्त है। उक्त भूमि अपीलाण्ट संख्या 1 के ससुर वजा पुत्र पीथाराम, जाति भांबी साकिन देह खातेदार के नाम से सवत् 2026 से 2019 में दर्ज हैं। अपीलाण्ट संख्या 1 के ससुर वजाराम की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर अपीलाण्ट के पति के नाम म्यूटेशन संख्या 1189 के जरिये चमनाराम पुत्र वजाराम कौम भांबी के नाम की खातेदारी दर्ज की गई है, जो पुराने खसरा नम्बर 2145 के रूप में दर्ज है। सेटलमेन्ट के बाद विवाद ग्रस्त खसरे का नये नम्बर 5194 में परिवर्तन किया गया। लेकिन सेटलमेन्ट की गलती से अपीलाण्ट का नाम दर्ज नही करके पुरानी पड़त दर्ज कर दी गई, जो गलत एवं निराधार है, इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2008(1) पेज नंबर 151 प्रस्तुत किया गया। उक्त नजीर में माननीय न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि **"Settlement department had no right to change the existing entrie."** प्रकरण में अपीलाण्ट के पूर्वजों के नाम से चली आ रही खातेदारी को अपीलाण्ट के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी, जो नही करके सेटलमेन्ट द्वारा गलत इन्द्राज किया गया है, सेटलमेन्ट विभाग को ऐसा करने का कोई अधिकार नही था, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.01.2021 द्वारा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई गलती को सुधार करने का आदेश नहीं देकर कानूनी भारी भूल की है, अतः अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.01.2021 निरस्त करने योग्य है।

7. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि सेटलमेन्ट अधिकारी को, पूर्व में जो इन्द्राज है, उसी की पुनरावृति करनी चाहिये थी, जो नहीं करके उन्होनें अपने अधिकारो का दुरूपयोग किया है, जिसको संशोधन करने के लिए

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसुरी के यहां अपीलाण्ट ने अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन किया, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने केवल यह लिखते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि उक्त आवेदन धारा 136 के तहत देय नहीं है और इसका दायरा भी सीमित है। साथ में यह भी लिख दिया कि लिपिकिय त्रुटि या ऐसी त्रुटि जहां पक्षकार सहमत हो, उसी के संबंध में अनुतोष दिया जा सकता है, उक्त निर्णय देखने से प्रथम दृष्टया खारिज करने योग्य है। धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम में यह प्रावधान है कि रिकॉर्ड में सेटलमेन्ट द्वारा जो त्रुटि की गई है, उसको संशोधन करने का क्षेत्राधिकार दे रखा है। अधिनस्थ न्यायालय ने किस आधार पर अपने निर्णय में विवेचन किया है कि पक्षकार की सहमति से ही ऐसा आदेश हो सकता है, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.01.2021 विधि के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

8. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी कथन किया कि अपीलाण्ट संख्या 1 के ससुर वजा का देहान्त दिनांक 18.01.1983 को हुआ, तब वजा के पुत्र अपीलाण्ट संख्या 1 के पति चमनाराम के नाम का म्यूटेशन भरा गया, उसके बाद सेटलमेन्ट हुआ, जिसमें खसरा नम्बर 2145 से नये खसरा नम्बर 5194 बना, जिसमें भूमि पुश्तनी पड़त दर्ज कर दी गई, जबकि भूमि चमना पुत्र वजा के नाम की इन्द्राज की जानी चाहिये थी, जो नहीं की गई, जिसके सुधार के लिए अपीलाण्ट ने आवेदन किया था। अपीलाण्ट मेघवाल जाति के अनुसूचित जाति का अनपढ़ व्यक्ति है। अपीलाण्ट के पति का देहान्त हो गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह लिखना कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भू प्रबन्ध किये जाने के बाद विभाग द्वारा लगान पर्चा जारी किया गया था, उस समय प्रार्थी द्वारा ऐतराज क्यों नही किया, जबकि इतनी बारीकी तकनीकी बातों का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं था। अपीलाण्ट के पति अनपढ़ थे, लेकिन जिस खतौनी में खातेदारी इन्द्राज है, उसकी पुनरावृति करना सेटलमेन्ट विभाग का कृत्य था, लेकिन उन्होने ऐसा नही करके जिस सुधार हेतु अपीलाण्ट ने आवेदन किया था, अधिनस्थ न्यायालय को अपीलाण्ट के नाम की खातेदारी दर्ज करनी चाहिये थी। इस कारण भी अपीलाण्ट के नाम खातेदारी दर्ज करने का आदेश दिया जाना चाहिये था, जो नही देकर अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है, अतः इस आदेश को निरस्त करना विधिसंगत है। अतः अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसुरी के निर्णय दिनांक 19.01.2021 को खारिज किया जाये तथा ग्राम नाडोल चक नम्बर 2 के गत खसरा नम्बर 2145 जिसके वर्तमान नम्बर 5194 रकबा 0.5500 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल की भूमि अपीलाण्टगण के नाम दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया जाये।

9. प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह कथन किया कि ग्राम नाडोल के हाल खसरा नंबर 5194 रकबा 0.500 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है। विवाद ग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट के कब्जे काश्त के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई दस्तावेज नही है। अपीलान्ट

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

ने स्वयं की सम्वत् 2026–2029 में खातेदारी दर्ज होना बताया है, लेकिन अपनी खातेदारी के प्रमाण स्वरूप उक्त सम्वत् से पहले या बाद का स्वयं के नाम खातेदारी दर्ज होने का कोई राजस्व रेकर्ड प्रमाण स्वरूप पेश नहीं किया है। जिस सम्वत् का अपीलान्ट कथन कर रहा है, उस सम्वत् में अपीलान्ट की खातेदारी दर्ज का गलत इन्द्राज हो गया था। वैसे भी भू–प्रबन्ध कार्यवाही के बाद लम्बी अवधि गुजर चुकी है एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्कोप बेहद सीमित है। धारा 136 के तहत किसी व्यक्ति को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.12.2017 अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम खारिज कर सही एंव विधि अनुसार ही निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलाण्ट की अपील को खारिज करने का आदेश प्रदान करे।

10. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया तथा अपील पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि ग्राम नाडोल 2 पटवार हल्का नाडोल 2 भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नाडोल तहसील–देसूरी जिला पाली के खाता संख्या नया 1 पुराना–1 के खसरा नम्बर 5194 क्षेत्रफल 0.5500 हैक्टर भूमि वर्गीकरण बारानी अव्वल की कृषि भूमि पर अपीलाण्ट एवम अपीलाण्ट के वारिसों का नाम दर्ज करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र पर आदेश दिनांक 19.01.2021 पारित कर अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। उप खण्ड अधिकारी, देसूरी के द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 19.01.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

11. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा बहस के दौरान मुख्य कथन यह प्रस्तुत किये गये कि ग्राम नाडौल पटवार हल्का नाडोल चक नं 2 के खाता संख्या पुराना 1 खसरा नम्बर 5194 क्षेत्रफल 0.5500 हैक्टेयर भूमि किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि स्थित है, जिस पर अपीलाण्ट का कब्जाकाश्त है। उक्त भूमि अपीलाण्ट संख्या 1 के ससुर वजा पुत्र पीथाराम, जाति भांबी साकिन देह खातेदार के नाम से सवत् 2026 से 2029 में दर्ज हैं। अपीलाण्ट संख्या 1 के ससुर वजाराम की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर अपीलाण्ट के पति के नाम म्यूटेशन संख्या 1189 के जरिये चमनाराम पुत्र वजाराम कौम भांबी के नाम की खातेदारी दर्ज की गई है, जो पुराने खसरा नम्बर 2145 में दर्ज है। सेटलमेन्ट के बाद विवाद ग्रस्त खसरे का नये नम्बर 5194 में परिवर्तन किया गया। लेकिन सेटलमेन्ट की गलती से अपीलाण्ट का नाम दर्ज नही करके पुरानी पड़त दर्ज कर दी गई, जो गलत एवं निराधार है। धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम में यह प्रावधान है कि रिकॉर्ड में सेटलमेन्ट द्वारा जो त्रुटि हुई है, उसको संशोधन करने का क्षेत्राधिकार दे रखा है। अपीलाण्ट संख्या 1 के ससुर वजा का देहान्त दिनांक 18.01.1983 को हुआ, तब वजा के पुत्र अपीलाण्ट संख्या 1

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

के पति चमनाराम के नाम का म्यूटेशन भरा गया, उसके बाद सेटलमेन्ट हुआ, जिसमें खसरा नम्बर 2145 से नये खसरा नम्बर 5194 बनाया, जो पुरानी पड़त दर्ज कर दी, जबकि चमना पुत्र वजा के नाम की इन्द्राज की जानी चाहिये थी।

12. इसके विपरीत रेस्पोडेण्ट्स के राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस यह मुख्य कथन प्रस्तुत किये कि ग्राम नाडोल के हाल खसरा नंबर 5194 रकबा 0.500 हैक्टर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है। विवाद ग्रस्त भूमि पर अपीलाण्ट का किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है। धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है।

13. प्रार्थीगण द्वारा अपील के जरिये विवाद ग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट्स का नाम बतौर खातेदारी दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत किसी व्यक्ति को खातेदार घोषित नही किया जा सकता है। खातेदारी की घोषणा नियमित वाद दायरी द्वारा ही की जा सकती है। धारा 136 आर.एल.आर एक्ट के तहत मात्र लिपीकीय त्रुटि को ही सुधारा जा सकता है। अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील में जिस नामान्तरकरण के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इन्द्राज होने का उल्लेख किया गया है, उक्त नामान्तरकण की प्रति न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है न ही न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। ऐसे में अपीलाण्ट की अपील में अंकित तथ्यों को बल नही मिलता है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, देसूरी ने आदेश दिनांक 19.01.2021 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही की गई है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा प्रावधित प्रावधानो के अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.01.2021 पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, देसूरी का आदेश दिनांक 19.01.2021 विधि के अनुरूप होने से उक्त आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश में कोई त्रुटि होना नही पाते हैं।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, देसूरी के आदेश दिनांक 19.01.2021 को यथावत रखा जाता हैं। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल होकर बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जाये। यह निर्णय आज दिनांक 17.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर